उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

राज्यसात अपील संख्या–04/2019

बिरेन्द्र कुमार मेहता

–बनाम–

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रम0, हजारीबाग

गदेश की पंजी संख्या एवं तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी/तारीख*
10.12.21	1. प्रस्तुत अपील वाद ईचाक थाना काण्ड सं0–54/2015 से संबंधित राज्यसात वाद संख्या–05/2015 मामले में न्यायालय प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 18.12.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। 2. राज्यसात वाद संख्या–05/2015 में दिनांक 18.12.2018 को पारित आदेश के अनुसार (1) पोकलेन मशीन L&T KOMATSU Ltd. जापानी कम्पनी का जिसका Serial No 1B159PC200, Engine Model No. 56D102E-1, Serial No. 26475235 (2) पोकलेन मशीन Serial No. 1B371PC200, Engine Medel No 56D102E-1, Serial No-26477826 (3) पैशन प्रो मोटर साइकिल निबंधन सं0–JH-02V-1677 चेचिस नं0–MBLHA 10EWCGB07894, Engine No-HA10EDCGB-37544 (4) बोलेरो कैम्पर, निबंधन सं0–JH-02V-4086, Chasis No-MAIRU2GHKC3B32629, Engine No. GHC4318020 (5) जेनेरेटर(कम्प्रेशर) ELGI DT 450-150 एवं (6) कम्प्रेशर (एटलस कम्पनी) Serial No MHAN 10012887 द्वारा दिनांक–25.03.2015 को ग्राम–पण्डरा, थाना नं0–16, प्लॉट सं0–2, थाना ईचाक अन्तर्गत सुरक्षित वन क्षेत्र के पास अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन कार्य करते हुए पाये गये तथा ईचाक थाना काण्ड संख्या–54/2015 के तहत अधिसूचित सुरक्षित वन क्षेत्र/वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र में अवैध पत्थर उत्खनन कार्य में उपयोग के कारण उपरोक्त वाहन/मशीन राज्यसात वाद के तहत जप्त हैं। 3. उपरोक्त वाद में पारित आदेशानुसार जप्त वाहनों/मशीनों का उपयोग कर प्लॉट नं0–02 ग्राम पण्डरा, जिला हजारीबाग जो भारतीय वन अधिनियम–1927 तथा वन्यप्राणी(संरक्षण) अधिनियम–1972 के तहत क्रमशः वन' भूमि तथा वन्यप्राणी आश्रयणी के रूप में अधिसूचित हैं, में अवैध रूप से पत्थर उत्खनन का कार्य किया	

आदेश की पंजी संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी/तारीख

गया है, जो भारतीय वन अधिनियम–1927 (बिहार संशोधन अधिनियम,1989) की धारा 33(1) (b) and 33(1) (C) के तहत एक दण्डनीय एवं गैर जमानतीय अपराध है।

4. प्रार्थी बिरेन्द्र कुमार मेहता द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपरोक्त राज्यसात वाद में जप्त पोकलेन मशीन L&T KOMATSU Ltd. जापानी कम्पनी Serial No 1B371PC200, Engine Model No. S6D102E-1, Serial No. 26477826 की विमुक्ति हेतु अपील आवेदन दायर करते हुए अपने लिखित कथन में बताया है कि वे (अपीलार्थी) एक व्यवसायी हैं। मनोज कुमार द्वारा पोकलेन मशीन को एग्रीमेन्ट पर उसके वास्तविक मालिक बिरेन्द्र कुमार मेहता, पिता–स्व0 नागेश्वर महतो, ग्राम–बरकाखूर्द, ईचाक से लिया गया।

5. यह भी बताया गया कि उक्त पोकलेन मशीन वित्त प्रदत्त है तथा अबतक संबंधित थाना में खुला आकाश के नीचे रखा है। उचित देख–रेख के अभाव के कारण मशीन के बहुमूल्य पार्ट्स के खराब होने की संभावना है जिसके कारण पोकलेन मशीन के मालिक को आर्थिक हानि हो जायेगी।

6. पोकलेन मशीन को राष्ट्रीय सम्पत्ति बताते हुए उसे मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जब भी न्यायालय को उक्त मशीन की आवश्यकता होगी तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है और न ही इसमें उनकी कोई सहभागिता है।

7. निम्न न्यायालय के आदेश, अपीलार्थी के द्वारा रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रासंगिक मामले में जप्त वाहन को छापामारी दल के द्वारा करीब 21.45 बजे रात्रि के समय सशस्त्र बल के सहयोग से अवैध उत्खनन के क्रम में जप्त किया गया। अपीलार्थी के द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दुओं से न ही ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में लाया गया और न ही दस्तावेज दाखिल किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जप्त वाहन का उपयोग वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र में अवैध उत्खनन कार्य में नहीं किया गया।

निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का कोई भी औचित्यपूर्ण आधार प्रस्तुत करने में अपीलार्थी असफल रहे। अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

Digitally signed by SUNIL KUMAR SINGH
Date: 2022.04.09 13:58:51 +05:30
Location: 192.168.100.105

उपायुक्त, हजारीबाग

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

उपायुक्त, हजारीबाग